



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जनवरी 24, 2013/माघ 4, 1934

No. 229]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 24, 2013/MAGHA 4, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2013

सं. 9/2013-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 245(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड मैसर्स सुरजीप्लस, कॉलेज स्क्वेर, कटक (उड़ीसा) को संयुक्त निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, जोनल यूनिट, अहमदाबाद के द्वारा फा.सं. डीआरआई/एजेडयू/आईएनवी-72/2009/446-450, दिनांक 10 जुलाई, 2012, के तहत जारी की गई कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए

(i) संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त, सीमा-शुल्क, (पोर्ट-आयात), 33 राजाजी सलाई;

(ii) संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त, सीमा-शुल्क, चेन्नई एअर पोर्ट तथा एअर कार्गो, इंटीग्रेटेड कार्गो कॉम्प्लेक्स, मीनाम्बक्कम, चेन्नई; और

(iii) संयुक्त आयुक्त अथवा अपर आयुक्त, सीमा-शुल्क, कस्टम हाउस स्ट्रैंड रोड, कोलकाता,

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा, संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त सीमा-शुल्क (पोर्ट-आयात), 33, राजाजी सलाई, कस्टम हाउस, चेन्नई, को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/47/2012-सीमा-शुल्क IV]

एम. वी. वासुदेवन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2013

No. 9/2013-Customs (N.T.)

S.O. 245(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby imposes on the Joint Commissioner or Additional Commissioner of Customs (Port-Import), 33, Rajaji Salai, Custom House, Chennai, to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on—

- (i) The Joint or Additional Commissioner of Customs (Port-Import), 33, Rajaji Salai, Custom House, Chennai;
- (ii) The Joint or Additional Commissioner of Customs, Chennai Airport and Air Cargo, Integrated Cargo Complex, Meenambakkam, Chennai; and

(iii) The Joint or Additional Commissioner of Customs, Custom House, Strand Road, Kolkata, for the purpose of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s. Surgiplus, College Square, Cuttack (Orissa), issued *vide*, F. No. DRI/AZU/INV-72/2009/446-450, dated the 10th July, 2012, by the Joint Director, Directorate of Revenue Intelligence, Zonal Unit, Ahmedabad.

[F. No. 437/47/2012-Cus. IV]

M.V. VASUDEVAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2013

सं. 10/2013-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 246(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड अपराना लेस क्राफ्ट्स दिल्ली एवं अन्य, नई दिल्ली को अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, जोनल यूनिट, दिल्ली के द्वारा फा. सं. 23/18/2011-डीजेडयू, दिनांक 29 अगस्त, 2012, के तहत जारी की गई कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए

- (i) आयुक्त, सीमा-शुल्क, इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली;
- (ii) आयुक्त, सीमा-शुल्क, न्यू कस्टम हाउस, इन्दिरागांधी इन्टरनेशनल एअरपोर्ट, नई दिल्ली;
- (iii) सहायक या उपायुक्त, सीमा-शुल्क, न्यू कस्टम हाउस, इन्दिरागांधी इन्टरनेशनल एअरपोर्ट, नई दिल्ली; और
- (iv) अपर आयुक्त, सीमा-शुल्क (आयात), न्हावाशेवा, पोस्ट-उडान, जिला-रायगढ़, महाराष्ट्र,

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा, आयुक्त सीमा-शुल्क न्यू कस्टम हाउस, इन्दिरागांधी इन्टरनेशनल एअरपोर्ट, नई दिल्ली को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/50/2012-सीमा-शुल्क IV]

एम. वी. वासुदेवन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2013

No. 10/2013-Customs (N.T.)

S.O. 246(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby imposes on the Commissioner of Customs, New Custom House, Indira Gandhi International Airport, New Delhi to act as the common adjudicating authority, to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on—

- (i) The Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi;
- (ii) The Commissioner of Customs, New Custom House, Indira Gandhi International Airport, New Delhi;
- (iii) The Assistant or Deputy Commissioner of Customs, New Customs House, Indira Gandhi International Airport, New Delhi; and
- (iv) The Additional Commissioner of Customs (Import), Nhava Sheva, Post-Uran, Dist. Raigad, Maharashtra,

for the purpose of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s. Aparna Lace Crafts, Delhi and Others, New Delhi, issued *vide*, F. No. 23/18/2011-DZU, dated the 29th August, 2012, by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Zonal Unit Delhi.

[F. No. 437/50/2012-Cus. IV]

M.V. VASUDEVAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2013

सं. 11/2013-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 247(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, मैसर्स सनम एक्सपोर्ट्स, 25/75, गली नं. 15 विश्वास नगर, नई दिल्ली को सहायक निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, जोनल यूनिट, दिल्ली के द्वारा फा. सं. 23/42/2009-डीजेडयू (सनम)/3512 से 3518, दिनांक 31 जुलाई, 2012, के तहत जारी की गई कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए —

(i) अपर आयुक्त, सीमा-शुल्क, आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली; और

(ii) अपर आयुक्त, सीमा-शुल्क, सीएफएस, पटपड़गंज, नई दिल्ली,

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा, अपर आयुक्त सीमा-शुल्क, इन्सैण्ड कन्टेनर डिपो तुगलकाबाद, नई दिल्ली को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा.सं. 437/51/2012-सीमा-शुल्क IV]

एम. वी. वासुदेवन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2013

No. 11/2013-Customs (N.T.)

S.O. 247(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby imposes on the Additional Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi, to act as the adjudicating authority, to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on—

(i) The Additional Commissioner of Customs, ICD, Tughlakabad, New Delhi; and

(ii) The Additional Commissioner of Customs CFS, Patparganj, New Delhi,

for the purpose of adjudicating the matter relating to Show Cause Notice pertaining to M/s. Sanam Exports, 25/75, Gali No. 15, Vishwasnagar, New Delhi, issued vide, F. No. 23/42/2009-DZU (Sanam)/3512 to 3518, dated the 31st July, 2012, by the Assistant Director, Directorate of Revenue Intelligence, Zonal Unit, Delhi.

[F. No. 437/51/2012-Cus. IV]

M.V. VASUDEVAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2013

सं. 12/2013-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 248(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड मैसर्स कोएलजे पोलीमर्स एण्ड केमिकल्स लि. के.एल.जे. हाउस, 63, रामा रोड, नजफगढ़, नई दिल्ली, को संयुक्त निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, जोनल यूनिट, अहमदाबाद के द्वारा फा. सं. डीआरआई/एजेडयू/सीआई-04/कोएलजे/2012, दिनांक 6 अगस्त, 2012, के तहत जारी की गई कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए —

(i) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, सीमा-शुल्क (आयात), कस्टम हाउस, काण्डला, गुजरात;

(ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, सीमा-शुल्क (आयात), अदानी पोर्ट और एसईजेड लि. मुण्ड्रा, गुजरात

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, सीमा-शुल्क (आयात), कस्टम हाउस, काण्डला को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा.सं. 437/53/2012-सीमा-शुल्क IV]

एम. वी. वासुदेवन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2013

No. 12/2013-Customs (N.T.)

S.O. 248(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby imposes on the Additional Commissioner or Joint Commissioner of Customs (Import), Custom House, Kandla to act as the adjudicating authority, to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on —

- (i) The Additional Commissioner or Joint Commissioner of Customs (Import), Custom House, Kandla, Gujarat
- (ii) The Additional Commissioner or Joint Commissioner of Customs (Import), Adani Port and SEZ Ltd., Mundra Gujarat,

for the purpose of adjudicating the matter relating to Show Cause Notice pertaining to M/s. KLJ Polymers and Chemicals Ltd., KLJ House, 63, Rama Road, Najafgarh Road, New Delhi issued *vide* F. No. DRI/AZU/CI-04/KLJ Polymers/2012, dated the 6th August, 2012, by the Joint Director, Directorate of Revenue Intelligence, Zonal Unit, Ahmedabad.

[F. No. 437/53/2012-Cus. IV]

M.V. VASUDEVAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2013

सं. 13/2013-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 249(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड मैसर्स धर्मेन्द्र कुमार बी-253, डी.ए. फ्लैट्स तिमारपुर, दिल्ली को निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, लखनऊ जोनल यूनिट, अहमदाबाद के द्वारा फा.सं. VIII/26/5/एलजेडयू/2012/3358 से 3362, दिनांक 13 सितम्बर, 2012, के तहत जारी की गई कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए—

- (i) उपायुक्त सीमा-शुल्क, (आयात), इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
- (ii) उपायुक्त सीमा-शुल्क, इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली,

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा, उपायुक्त सीमा-शुल्क, इन्लैण्ड कन्टेनर, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा.सं. 437/67/2012-सीमा-शुल्क IV]

एम. वी. वासुदेवन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2013

No. 13/2013-Customs (N.T.)

S.O. 249(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby imposes on the Deputy Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh, to exercise the powers and discharge the duties as adjudicating authority over the powers and duties exercisable by—

- (i) The Deputy Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh
- (ii) The Deputy Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi,

for the purpose of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice issued to M/s. Dharmendra Kumar, B-253, D.A. Flats, Timarpur, Delhi, issued *vide* Directorate of Revenue Intelligence, F.No. VIII/26/5/LZU/2012/3358 to 3362, dated the 13th September, 2012, by the Deputy Director, Directorate of Revenue Intelligence, Lucknow Zonal Unit, Lucknow.

[F.No. 437/67/2012-Cus. IV]

M.V. VASUDEVAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2013

सं. 14/2013-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 250(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड मैसर्स जे के टॉयर्स एवं इण्डस्ट्रीज लि., नई दिल्ली, को संयुक्त निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, जोनल यूनिट, अहमदाबाद के द्वारा फा.सं. डीआरआई/एजेडयू/आईएनवी-33/2011 दिनांक 29 अक्टूबर, 2012, के तहत जारी की गई कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए—

- (i) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, सीमा-शुल्क (आयात), न्यू कस्टम हाउस, काण्डला, बालार्ड एस्टेट, मुंबई; और
- (ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, सीमा-शुल्क, जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाउस, न्हावा शेवा, तालुक-उडान, जिला-रायगढ़, महाराष्ट्र-400 707

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, सीमा-शुल्क (आयात), न्यू कस्टम हाउस, बालार्ड एस्टेट, मुंबई, को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा.सं. 437/75/2012-सीमा-शुल्क IV]

एम. वी. वासुदेवन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2013

No. 14/2013-Customs (N.T.)

S.O. 250(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby imposes on the Additional Commissioner or Joint Commissioner of Customs (Import), New Custom House, Ballard Estate, Mumbai, to exercise the powers and discharge the duties as adjudicating authority over the powers and duties exercisable by—

- (i) The Additional Commissioner or Joint Commissioner of Customs (Import), New Custom House, Ballard Estate, Mumbai; and
- (ii) The Additional Commissioner or Joint Commissioner of Customs, Jawaharlal Nehru Custom House, Nhava Sheva, Taluk. Uran, Dist. Raigad, Maharashtra-400 707,

for the purpose of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s. J.K. Tyres and Industries Limited, New Delhi., issued vide, F.No. DRI/AZU/INV-33/2011 dated the 25th October, 2012, by the Joint Director, Directorate of Revenue Intelligence, Zonal Unit, Ahmedabad.

[F.No. 437/75/2012-Cus. IV]

M.V. VASUDEVAN, Under Secy.

3526E/13-2